कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्रीमती आशा दैया, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कासनी पीलोद जिला झुन्झुनूं का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जावली, रानी जिला पाली किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती आशा दैया द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 1544/2021 आशा दैया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

याचिका संख्या 1544/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2021 द्वारा याचिकार्थी श्रीमती आशा दैया को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार 4 सप्ताह के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के स्लिप डिस्क से पीडित होने, पति के सर्वाइकल स्पाइन से ग्रस्त होने एवं अपने ससुर की दिव्यांगता के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि झांझा, बुहाना झुन्झुनू/एसीबीईओ–प्रथम खेतडी जिला झुन्झुनूं अथवा राउमावि झाड़सर जिला चूरू में प्रधानाचार्य अथवा समकक्ष के पद पर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 जो कि पूर्व के समस्त दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण (SUPERSESSION) में जारी किये गए हैं, में 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, हृदय शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर जैसे गंभीर एवं असाध्य रोग से पीड़ित कार्मिक को ही स्थानान्तरण आवेदनों में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त थे।

याचिकार्थी द्वारा स्वयं के किसी असाध्य रोग से पीडित होने के आधार पर नहीं, बल्कि ससुर की दिव्यांगता के आधार पर अनुतोष चाहा गया है जिसके सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उक्त दिशा–निर्देशों में माता–पिता/पति–पत्नी/सास–ससुर अथवा अन्य परिजनों की रूग्णता के आधार पर अनुतोष का लाभ देय नहीं है। याचिकार्थी द्वारा चाहे गए विद्यालयों में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं है। याचिकार्थी राज्य सेवा की अधिकारी हैं और उन्हें विभागीय प्राथमिकता, प्रशासनिक आवश्यकता, राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। किसी भी लोक सेवक को एक ही स्थान पर बने रहने का कोई निहित अधिकार (VESTED RIGHT) नहीं है। सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार उसे राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अन्यत्र स्थानान्तरण/पदस्थापन से उसके विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता। उक्तानुसार याचिकार्थी श्रीमती आशा दैया द्वारा की गई मांग उचित नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। श्रीमती आशा दैया को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 04.01.2021 की अनुपालना में अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि जावली, रानी जिला पाली में प्रधानाचार्य के पद पर तत्काल कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई ए एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/आशा दैया/1544/2021 दिनांकः 02/02/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू/पाली संभाग, चूरू/पाली।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/पाली।

5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक झुन्झुनूं/पाली।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10.श्रीमती आशा दैया, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य, राउमावि 71 आर.बी., रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर।
11.निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)